कॉर्पोरेट ई-सी बैंकिंग के लिए मॉडल बोर्ड संकल्प

(कंपनी के आधिकारिक लेटर हेड में प्रस्तुत किया जाना है।)

.... (दिन/तारीख) को .... (स्थान/ समय) में संपन्न .... (कंपनी का नाम) के निदेशक मंडल की बैठक में पारित संकल्प की अभिप्रमाणित प्रति

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक से ई-सी बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने के संबंध में

1. यह संकल्प लिया गया कि कंपनी इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के विभिन्न शाखाओं में खुले खातों के लिए कॉर्पोरेट ई-सी बैंकिंग सुविधा प्राप्त करेगी तथा कंपनी इस उद्देश्य के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा विहित निबंधनों, विनियमों, शर्तों, निर्देशों को स्वीकार करेगी।
2. यह संकल्प लिया गया कि निम्नलिखित प्राधिकृत अधिकारियों

   श्री.........................

   श्री...........................

   श्री.........................

   को अलग से कंपनी की ओर से आवेदन प्रपत्र या वेबसाइट में शामिल निबंधनों व शर्तों को स्वीकार करने की बात इण्डियन ओवरसीज़ बैंक को संप्रेषित करने के लिए तथा उक्त निबंधनों व शर्तों में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा सुझाए गए ऐसे परिवर्तनों व संशोधनों से सहमत होने, समय समय पर अधिदेश को नामित, स्थानापन्न, प्रतिसंहरण व बदलने आदि के लिए और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित कार्यों, दस्तावेज़ों तथा अन्य लेखनों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त यह संकल्प लिया गया कि श्री................

   श्री.............. तथा

   श्री..................नामक उक्त प्राधिकृत अधिकारी तथा/ या उक्त प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा एकल/ संयुक्त रूप से नामित किसी अधिकारी को कॉर्पोरेट ई-सी बैंकिंग के ज़रिए कंपनी की ओर से खाता परिचालित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। इसमें इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में खाते में नामे शेष करना और/ या अतिआहरित होने के मामले में कॉर्पोरेट ई सी बैंकिंग प्रपत्र में खाता परिचालन संबंधी प्राधिकरण के अनुसार परिचालन ज़ारी रखना भी शामिल है।
4. .इसके अतिरिक्त यह संकल्प लिया गया कि कंपनी के खाते/ खातों के संबंध में उक्त हस्ताक्षरकर्ताओं में से किसी से भी अलग-अलग कॉर्पोरेट ई-सी बैंकिंग सेवा के ज़रिए सभी वैध तथा विधिक अनुदेशों को स्वीकार करने के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक को प्राधिकृत करने का एतद्द्वारा संकल्प लिया गया। कंपनी दिए

गए तरीके के तहत उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा समुचित प्रकार के अनुदेश देकर इण्डियन ओवरसीज़ बैंक को नुकसान रहित रखने के प्रति और इस प्रकार उनके हितों को संरक्षित रखने के प्रति सहमत है।

5. उक्त निबंधन व शर्तों को अनुमोदित व स्वीकृत करने का एतद्द्वारा संकल्प लिया गया तथा इनमें इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को अलग अलग से प्राधिकृत किया जाता है।
6. इसके अतिरिक्त कंपनी के बोर्ड/ सचिव के अध्यक्ष को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक को संकल्प की एक अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत करने का एतद्द्वारा संकल्प लिया गया।

नोट:

पैराग्राफ संख्या 1,2, 5 व 6 अनिवार्य हैं। पैराग्राफ सं. 3 व 4 सिर्फ तभी अपेक्षित है जब कंपनी निधि अंतरण विकल्प को चालू करना चाहे।